FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.........उपखण्ड अधिकारी.........मुकाम.........कोटा.........

.........ममता.........बनाम.........प्रमोद.........

किस्म मुकदमा.........128 LR.........नं. ....57.........सन्.........2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/5/26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने प्रार्थना पत्र पर बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी में से प्रार्थीया के द्वारा 54/59 हिस्सा नितिन कुमार पाठक को विक्रय कर दिया है प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मात्र 5/59 हिस्सा शेष चला आ रहा है जिसके कारण प्रार्थीया उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदार नही रही है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का भी अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी नं0 2 के कथनों की पुष्टि होती है कि उक्त आराजी में से प्रार्थीया के द्वारा 54/59 हिस्सा नितिन कुमार पाठक को विक्रय कर दिया है प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मात्र 5/59 हिस्सा शेष चला आ रहा है जिसके कारण प्रार्थीया उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदार नही रही है। जिस कारण से अप्रार्थी नं0 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया उक्त खसरा नं0 288/1019 का विभाजन करवा कर अपना खाता पृथक करवाये। पृथक खाता करवाये जाने के पश्चात प्रार्थीया पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। उक्त निर्णय आज दिंनाक: 11/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (गजेन्द्र सिंह) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	